विवरण

अनुबंध

आदिवासी क्षेत्रों में स्थानों का जिला-वार ब्यौरा जिनमें वर्ष 1996-97 के दौरान एक्सचेंज/विस्तार/प्रतिस्थापन की योजना बनायी गई है:

क्र० सं०	जिले का नाम	एक्सचेंज का नाम	क्र० सं०	जिले का नाम	एक्स० का नाम
			4.	पालनपुर	अम्बाजी भेमल
			5.	सूरत	बारडोली करचेलिया कडोड मोरभान अनुपाला
1.	भाडुच	राजपीपला राजपर्दी वालिया झागडिया उमल्ला देदियापाडा पनेथा	6.	बडोदरा	नसवाडी छोटा-उदेपुर तनखला क्वान्त
			7.	वालसद	वापी उमरगांव खेरगांव
2.	गोधरा	दाहोद डी० बरिया डिवदा कालोनी सन्जेली कटवाड़ा मलवान खानपुर			सन्जान बन्सदा उपवाड़ा के० पर्दी भरीगांव गांव नेगाना
3.	हिम्मतनगर	खेदब्रहम्म भिलोड़ा खेराज अतरसुम्बा खेराडी पसीना शिवराजपुर-कैम्प टकाटुका चिलौडा			कुवा चिखली कपुरण

मध्य प्रदेश की लंबित सिंचाई योजनाएं

405. **श्री: राघवजी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लंबित थी; और

(ख) प्रत्येक योजना की वर्तमान अवस्था क्या है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) और (ख) मध्य प्रदेश की गई बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र संख्या 17]**

पटना और इलाहाबाद के बीच जलमार्गों को खोलना

406. **श्री नागमणि:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पटना और इलाहाबाद के बीच जल मार्ग को यातायात के लिए अभी तक नहीं खोल पाई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह जल मार्ग परिवहन और यातायात के लिए कब तक खोल दिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) (क) से (ग) पूर्ण ज्वार की अवधि में पटना और इलाहाबाद के बीच जलमार्ग यातायात के लिए खुला रहता है। तथापि, इसे पूरे वर्ष भर नौचालन योग्य बनाने के लिए तल विनियमन संबंधी कार्यकलाप, जैसे निकर्षण, बैंडालिंग और टर्मिनल सुविधाओं हेतु प्रावधान को नौवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है और इन्हें कार्यों की बढ़ोत्तरी और निधियों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध किया जाएगा।

सिंचाई परियोजनाओं में विदेशी ऋणों का कम मात्रा में उपयोग किया जाना

407. **श्री राम जेठमलानी:** क्या संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में अनेक सिंचाई परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं, जिनके लिए विदेशों से कर्ज लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1996 तक ऐसी कुल कितनी परियोजनाएं थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब होने के कारण, स्वीकृति विदेशी कर्ज की राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो कुल स्वीकृत धनराशि कितनी है तथा अनुपयोगित राशि कितनी है जिस पर सरकार को बचनबद्धता प्रभार देना पड़ रहा है; और

(ड़) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान सरकार ने वर्ष-वार बचनबद्धता प्रभार की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 96 तक देश में सिंचाई से संबंधित ऐसी 30 परियोजनाएं हैं, जिनका कार्यान्वयन विश्व बैंक और विदेशों को सहायता से किया जा रहा है।

(ग) कुछ परियोजनाओं में निर्माण में परिवर्तन और अन्य बाधाओं के कारण विदेशी ऋण के उपयोग में कुछ विलम्ब हुआ है।

(घ) और (ड़) वर्ष 1993-94 और 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान कुछ परियोजनाओं के लिए ऋण की कुल स्वीकृत राशि और प्रयोग में न लाए गए ऋणों पर प्रतिबद्धता प्रभारों को दर्शाने वाला विवरण साथ लगा है।

विवरण

सिंचाई परियोजनाओं में विदेशी ऋण का उपयोग न किए जाने के संबंध में ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	राज्य डोनर करेंसी में संस्वीकृत राशि (मिलियन में) (कोष्ठक में दिए गए मिलियन रुपए के बराबर)		प्रतिबद्धता प्रभार (आंकड़े हजार रुपए में)		
				1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7
1.	बांध सुरक्षा आश्वासन और पुर्नस्थापन परियोजना	बहु-राज्यीय	अम० डालर 148.884 (5210.94)	1810	1810	1031
2.	अपर कृष्णा चरण-II	कर्नाटक	अमरीकी डालर 169.288 (5922.28)	3947	3567	3765